न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–264/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00179)

1. नानूराम पुत्र बालूराम,
2. रामेश्वर पुत्र अमराराम,
3. मन्नीदेवी पत्नी कानाराम,
4. गोरधन पुत्र कानाराम,
5. लालाराम पुत्र कानाराम,
6. दानाराम पुत्र कानाराम समस्त जाति कुमावत, निवासीयान खारिया की ढाणी, ग्राम कोढी, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुखाराम पुत्र गोविन्दराम, जातियान कुमावत, निवासीयान ग्राम खण्डेल, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक तहसील किशनगढ रेनवाल,

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 06.01.2020

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक जिला जयपुर के आदेश दिनांक 01.05.2018 (प्रकरण संख्या 14/2018) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रकरण तहसीलदार भू अभिलेख किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ने अपने प्रार्थना दिनांक 03.01.2018 को प्रस्तुत किया है जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के यहॉ प्रस्तुत किया गया जो प्ररकण संख्या 14/2018 उनवान तहसीलदार किशनगढ रेनवाल बनाम सुखाराम के अन्तर्गत दर्ज किया गया, उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने सुखाराम पुत्र गोविन्द, जाति कुमावत निवासी कोढी पटवारी हल्का ड्योढी की चालू जमाबन्दी सम्वत 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 47 खसरा नम्बर 235 रकबा 39 बीघा 6 बिस्वा में गोरधन, लालाराम, दानाराम पिसरान काना, मन्नी देवी पत्नी काना हिस्सा 2/27 नानूराम पुत्र बालू हिस्सा 2/27 अशुद्ध हिस्से के स्थान पर शुद्ध हिस्सा 1/27, 1/27 करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 01.05.2018 को अपालाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रार्थना पत्र सुखाराम पुत्र गोविन्दा अकेले ने पेश किया जबकि सुखाराम अपने अन्य भाईयों गुमानाराम व केशारम सहित जमाबन्दी सम्वत 2073 लगायत 2076 में 1/3 हिस्से के खातेदार दर्ज है, यानि इस प्रार्थना पत्र में तीनों खातेदारो ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न कर केवल एक खातेदार ने प्रार्थना पत्र पेश किया लिहाजा यह सभी हितबद्ध एवं सहकाश्तकार व्यक्तियों की तरफ से उन्हे बिना प्रार्थीगण बनाये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में सुखराम द्वारा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मेन्टेनेबल नही था। उनहोने आगे कथन किया है कि सुखराम के प्रार्थना पत्र पर कुछ सहखातेदारान के भी हस्ताक्षर जिनके नाम छिगनाराम गोपाललाल, सुवालाल, नानूराम मांगूराम, मोहनलाल एवं भागीरथ है उसमें से दिनांक 02.07.1995 को बाहमी बंटवारा हुआ था उसमें क्रमशः गुमानाराम, छिगनाराम एंव गोपाललाल स्वयं के हस्ताक्षर अंकित है एवं मोटाराम के पुत्र लालाराम के भी हस्ताक्षर है एवं लालाराम के भाई गोपी के पुत्रान मोहन व भागीरथ पुत्रान गोपीराम ने सुखाराम के उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये जबकि उसकी चाचा लालाराम के बाहमी बंटवारा फर्द दिनांक 02.07.1995 पर हस्ताक्षर अंकित है तथा उपरोक्त भूमि पर मनबट के आधार पर विभाजन दिनांक 02.07.1995 को होने के उपरान्त भूमि अप्रार्थीगण को मिली है, इसलिये हिस्सा गलत दर्ज नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 39 बीघा 6 बिस्वा भूमि में से करीब 4 बिस्वा भूमि मांगूराम पुत्र चंदाराम को दे देने के कारण रामेश्वर पुत्र अमराराम के जमीन कम हो गई एवं वायदे के अनुसार मांगूराम पुत्र चंदाराम ने नाजायज लोभ करके अमराराम पुत्र बिरमाराम एवं रामेश्वर पुत्र अमराराम को वायदे के अनुसार खसरा नम्बर 239 में भूमि नही दी लिहाजा तहसीलदार किशनगढ रेनवाल की जांच रिपोर्ट गलत व अस्वीकार योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत रिकार्डेड खातेदार की प्रविष्टि के परिवर्तन के अधिकार भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 में निहित नही है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी को भी प्रबन्ध कार्यवाहीयों की समाप्ति पर इस तरह के प्रार्थना पत्र पर आदेश दिये जाने के अधिकार नही है। ऐसे मामलों में रेस्पोडेन्ट्स को राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद लाना चाहिये था एवं उस पर तनकीयात बरामद करने के बाद ही वाद में निर्णय हो सकता है क्योंकि यह प्रकरण लिपिकीय त्रुटि का नही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2018 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2018 को अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यें को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 235 रकबा 39 बीघा 6 बिस्वा के हिस्से बाबत की गई कार्यवाही जायज व वैधानिक तौर पर की गई जो उक्त आराजी भूमि के सभी सहखातेदारों के हितार्थ है जिसमें किसी भी सहकाश्तकार के जायज अधिकारों के विपरित निर्णय पारित नही है, राजस्व कर्मियों द्वारा लिपिकीय त्रुटि की वजह से उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में सहकाश्तकारों के हिस्सा अंकन करने में त्रुटि है जिससे उक्त भूमि एक इकाई से बढ़ गई जो त्रुटि राजस्व अधिनियम की धारा 136 के स्कोप की त्रुटि है जो धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के स्कोप में नही आती है, केवल लिपिकीय त्रुटि की वजह से उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड का

P.T.O.

खाता अशुद्ध हो गया था, जो किसी क्षण स्वतः अथवा आवेदन पर सक्षम अधिकारी द्वारा शुद्ध किया जा सकता था जिसको शुद्ध किये जाने के आदेश दिनांक 01.05.2018 की कार्यवाही वैधानिक कार्यवाही है जिसमें विधि विरूद्ध काई शोर्ट कट मैथड नही अपना गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न पटवारी हल्का एवं तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रकरण में सहायक कलक्टर सांभरलेक के आदेश क्रमांक 983/84 दिनांक 24.11.17 से स्थगन होना अंकित किया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2018 पारित किया गया है एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी तथ्य, साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2018 पारित करते समय उक्त स्थगन प्रभावी ना होना साबित होता हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2018 को उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतःउपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।